हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

बुधवार, 1 अप्रैल, 2015/11 चैत्र, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **सदन की समितियों के प्रतिवेदन :**

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **38वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(2) **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **14वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **कृषि विभाग** द्वारा संचालित गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

3. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,**प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5)	कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 3) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए । वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6)	प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए । वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

शिमला-171 004 — **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 31 मार्च, 2015 — **सचिव।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)
(विधेयकों पर स्वीकृत संशोधन यदि कोई हो, तो वह भी प्रस्तुत किए जायेंगे)